वर्तमान याचिका की कार्यवाही के दौरान यह मेरे ध्यान में लाया गया है कि उन्हें अब तक पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो बैंक ऑफ इंडिया के याचिकाकर्ता-प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से यानी 26 नवंबर, 1983 को बहाली की तारीख तक दो महीने की अवधि के भीतर अपने वेतन की बकाया राशि, यानी नियमों के तहत उसे स्वीकार्य पूर्ण वापस मजदूरी का भुगतान करे, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता-प्रबंधन को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। देय राशि, देय होने की तारीख से वास्तविक संवितरण की तारीख तक। प्रतिवादी इस याचिका की लागत का भी हकदार होगा जो 1,000 रुपये निर्धारित है।

आर.एन.आर.

जवाहर लाल गुप्ता, जे. के समक्ष

देवींद्र कुमार, याचिकाकर्ता,

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1987 का 1322 ।

29 अप्रैल, 1991।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड III- पृष्ठ 413, नियम 9 - पंजाब विश्वविद्यालय विनियम- विनियम 27.1, 27.2 और 27.3 - ग्रेस मार्क्स प्रदान करना - उम्मीदवार अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एमए द्वितीय के कुछ पेपरों में फिर से उपस्थित होता है - पुन: उपस्थित परिणाम में, उम्मीदवार एमए द्वितीय में 16 अतिरिक्त अंक प्राप्त करता है - संतुष्ट नहीं है, दोनों पुन: उपस्थित पेपरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार - एक पेपर में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, 8 अंक कम हो जाते हैं - विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर कुल

384 अंकों के साथ उम्मीदवार का परिणाम घोषित करता है - उम्मीदवार उसके बाद 8 अनुग्रह अंक देने के लिए आवेदन करता है - विश्वविद्यालय दावे को अस्वीकार करता है - नियम 9 के मद्देनजर 8 अनुग्रह अंक देने का दावा कानूनी रूप से अस्थिर है - चूंकि स्कोर में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी आई थी, विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन द्वारा परिणाम को कम घोषित करना उचित था - एमए परीक्षा के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स देने के लिए उम्मीदवार का दावा अनुचित है क्योंकि वह एमए II के केवल दो पेपरों में उपस्थित हुआ था। - उम्मीदवार उस परीक्षा के अंकों के 1 प्रतिशत का हकदार है जिसमें वह पुन: उपस्थित होता है - चूंकि दो पुन: परीक्षा पत्रों में 1 प्रतिशत अनुग्रह अंक देने से परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए उम्मीदवार ग्रेस मार्क्स का हकदार नहीं है - ग्रेस मार्क्स देने के लिए सख्त निर्माण होना चाहिए - अदालतों को स्वतंत्र रूप से ग्रेस मार्क्स देने के लिए सहमत होने के बजाय योग्यता के पक्ष में झुकना चाहिए।

माना गया कि नियम 9 के अवलोकन से पता चलता है कि किसी उम्मीदवार का परिणाम पुनर्मूल्यांकन पर बदल दिया जाता है यदि स्कोर संबंधित पेपर को आवंटित अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाता है या कम हो जाता है। याचिकाकर्ता ने दो पेपरों में पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी। पेपर 1 में उनका स्कोर 48 पर अपरिवर्तित रहा था। पेपर IV में उनका स्कोर 51 से घटाकर 43 कर दिया गया था। अंतर 8 प्रतिशत अंकों का था। स्कोर में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी आई थी और तदनुसार विश्वविद्यालय को अपने परिणाम को संशोधित करने में उचित ठहराया गया था और उसके कुल अंक 392 से घटाकर 384 कर दिए गए। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता 8 ग्रेस मार्क्स के पुरस्कार का हकदार है, तो उसका कुल स्कोर केवल 392 अंक आएगा, जो उसे वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा यानी एमए में दूसरा डिवीजन।

(पैरा 8 और 9)

यह माना गया कि नियम 27.3 के तहत, एक उम्मीदवार "उस भाग में 1 प्रतिशत अंकों का हकदार है जिसमें वह फिर से उपस्थित होता है।" इसका शाब्दिक अर्थ यह होगा कि यदि कोई उम्मीदवार भाग 1 या 2 के सभी पेपरों में फिर से उपस्थित होता है, तो वह भाग के कुल अंकों के

1 प्रतिशत का हकदार होगा, जो 400 हैं। मेरे विचार में महत्वपूर्ण शब्द हैं "जिसमें वह फिर से उपस्थित होता है।" नियम एक उम्मीदवार को एक भाग में फिर से उपस्थित होने की अनुमति देते हैं; दोनों भागों में या केवल कुछ पत्रों में। नियम बनाने वाले प्राधिकारी का इरादा स्पष्ट रूप से उसे पेपर के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स देना है, जिसमें वह फिर से उपस्थित हुआ है।

(पैरा 10)

आगे *कहा* गया कि विश्वविद्यालय विनियम, जो वैधानिक हैं, ग्रेस मार्क्स प्रदान करने का प्रावधान करते हैं। फिर भी तथ्य यह है कि यह एक रियायत है। रियायत देने से छात्रों के भविष्य के कैरियर में परिणाम हो सकते हैं। एक उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर 400 अंक प्राप्त कर सकता है। एक अन्य उम्मीदवार जो 392 अंक प्राप्त करता है, वह एक निश्चित स्थिति में 8 ग्रेस अंक प्राप्त कर सकता है और अपने कुल स्कोर को 400 अंकों तक बढ़ाने में सफल हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि पहले उम्मीदवार के बेहतर प्रयास को दूसरे उम्मीदवार के समान स्तर पर लाया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से असमान परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार, ग्रेस मार्क्स देने से संबंधित एक प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जब तक कोई लाभ स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं होता है, तब तक उम्मीदवार को ग्रेस मार्क्स से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा भी हमें अनुग्रह को शर्मनाक नहीं होने देना चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा की पवित्रता न्यायालयों को स्वतंत्र रूप से अनुग्रह अंक देने के लिए सहमत होने के बजाय योग्यता के पक्ष में झुकने के लिए मजबूर करती है।

(पैरा 11)

भारत के संविधान *के अनुच्छेद 226/227 के तहत* सिविल रिट याचिका *में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता के मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद:*

i. *परमादेश या* कोई अन्य रिट या निर्देश, जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित समझे, *प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को 8* अनुग्रह अंकों का लाभ देने का निर्देश देते *हुए पारित किया जाए जैसा कि अन्य उम्मीदवारों को दिया गया है;*

ii. *याचिकाकर्ता से संबंधित मामले का पूरा रिकॉर्ड विश्वविद्यालय से तलब किया जाए;*

iii. *अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए क्योंकि वे उत्तरदाताओं/विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं;*

iv. *रिट याचिका की लागत भी प्रदान की जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता डॉ. एम. एस. राही।*
प्रतिवादी की ओर *से एडवोकेट संजय मजीठिया।*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

1) विश्वविद्यालय को 8 ग्रेस मार्क्स देने के लिए मनाने में विफल रहने के बाद, इस उम्मीद में कि याचिकाकर्ता एमए परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने में सक्षम होगा, उसने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2) घटनाओं के अनुक्रम का संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है। याचिकाकर्ता अप्रैल, 1982 में एमए (अंग्रेजी) भाग I परीक्षा में उपस्थित हुए। उन्होंने 400 में से 192 अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने अप्रैल, 1983 में एमए भाग II की परीक्षा दी और 400 में से 184 अंक हासिल किए। इस प्रकार उन्होंने 800 में से कुल 376 अंक हासिल किए।

3) पंजाब विश्वविद्यालय विनियमों के विनियमन 13.1 के तहत, एक उम्मीदवार जो पंजाब विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त कर चुका है, उसे उस पेपर में एक निजी उम्मीदवार के रूप में फिर से उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है जिसमें वह अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करना चाहता है। याचिकाकर्ता दो पेपरों, एमए भाग II के पेपर I और II में, जुलाई, 1984 में अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित हुआ। उन्होंने 16 अतिरिक्त अंक हासिल करने में सफलता हासिल की। नतीजतन उन्होंने एमए भाग II में 400 में से 200 अंक प्राप्त किए, जिससे उन्हें कुल 376 अंकों, जो उन्होंने वर्ष 1983 में हासिल किए थे, के बजाय 800 में से कुल 392 अंक मिले। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एमए भाग II के अपने दो पेपरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, जिसमें वह अप्रैल, 1984 में उपस्थित हुए थे। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप पेपर I में उनका स्कोर अपरिवर्तित रहा, लेकिन दूसरे पेपर में अर्थात पेपर IV में उसके अंक 100 में से 51 से घटाकर 100 में से 43 कर दिए गए। नतीजतन, विश्वविद्यालय ने कुल 392 अंकों के बजाय 800 में से कुल 384 अंकों के साथ अपना परिणाम घोषित किया। याचिकाकर्ता ने 8 ग्रेस मार्क्स देने के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया। 13 जनवरी, 1986 के आदेश के तहत जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक P.3 के रूप में प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता के दावे को विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। आदेश को उद्धृत करना उपयुक्त है, जो निम्नानुसार है: -

> "आपके 31 दिसंबर 1985 के पत्र के संदर्भ में। एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए उच्च डिवीजन के लिए ग्रेस मार्क्स देने का विनियमन अलग है। वे पी.यू. कैल. खंड II, 1984 के पृष्ठ 26 पर विनियम 27.3 के तहत शासित हैं: -

"एक उम्मीदवार जो डिवीजन में सुधार के उद्देश्य से एमए, एमकॉम, एमए (शारीरिक शिक्षा) या एम.लिब.एससी परीक्षा में फिर से उपस्थित होता है, उसे कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं: -

(१) एक उम्मीदवार जो केवल एक भाग में फिर से प्रकट होता है	जिस भाग में वह पुन: उपस्थित होता है उसमें 1 प्रतिशत अंक।
(२) एक उम्मीदवार जो फिर से दोनों भाग में प्रकट होता है।	दोनों भागों के अंकों का 1 प्रतिशत एक साथ लिया जाता है।

बशर्ते कि किसी भी उम्मीदवार को उच्च श्रेणी हासिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।

चूंकि जुलाई, 1984 में आप अपने प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से एमए भाग II परीक्षा में 200 अंकों के केवल दो पेपरों में उपस्थित हुए थे, इसलिए आप उच्च श्रेणी के पुरस्कारों के लिए केवल 2 ग्रेस मार्क्स के हकदार थे। आपकी दलील कि आपको 8 अंक दिए जाने चाहिए थे, को विनियम की मंजूरी नहीं है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(2)उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियम उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं, चाहे वे नए उम्मीदवार हों या वे अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार के लिए एमए परीक्षा में उपस्थित हो रहे हों। पी.यू. कैल. खंड III, 1981 के पृष्ठ 413 पर प्रासंगिक नियम 9 नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"किसी उम्मीदवार का परिणाम पुनर्मूल्यांकन पर तभी बदला

जाएगा जब परिणाम का चरित्र बदल दिया जाएगा। (चरित्र का अर्थ है 'फेल' से 'पास' या 'कम्पार्टमेंट', 'कम्पार्टमेंट' से 'पास' या *इसके विपरीत,* श्रेणी में परिवर्तन, कुल मिलाकर, या विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में स्थिति) या जहां पुनर्मूल्यांकन पर स्कोर संबंधित पेपर को आवंटित अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाता है या कम हो जाता है ।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपकी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एमए परीक्षा जुलाई, 1984 (सुधार) के लिए आपके अंकों को सही ढंग से 392 से 384 तक संशोधित किया गया था। विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को लागू नियमों / विनियमों के तहत शासित किया जाता है जिसे उनके लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार उनके पक्ष में नहीं बदला जा सकता है।

(4) याचिकाकर्ता को ग्रेस मार्क्स देने से इनकार करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई से व्यथित, उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की है। ऊपर दिए गए आदेश को पंजाब विश्वविद्यालय के विनियमों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। याचिका में केवल 8 अनुग्रह अंक दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

(5) इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, एकमात्र प्रतिवादी अर्थात पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से एक जवाब दावा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है और यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया लाभ नियमों/विनियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है।

(6) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील डॉ. एम. एस. राही और विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री संजय मजीठिया को सुना है।

(7) विचार के लिए उठने वाला पहला मुद्दा याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त

कुल अंकों के बारे में है। घटनाओं का अनुक्रम, जैसा कि ऊपर बताया गया है, से पता चलता है कि जब याचिकाकर्ता अपने पहले के प्रदर्शन में सुधार के लिए एमए भाग II के दो पेपरों में उपस्थित हुआ, तो उसने 184 अंकों के अपने मूल स्कोर से 16 अंक अधिक प्राप्त किए। एमए भाग II का उनका कुल स्कोर इस प्रकार 400 में से 200 अंक हो गया था। उन्होंने एमए भाग 1 में 192 अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार कुल 800 अंकों में से कुल 392 अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने दो पेपरों में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, जिसमें वह अप्रैल 1984 में फिर से उपस्थित हुए थे। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप पेपर IV में उनके अंक 51 से घटकर 43 हो गए। इस प्रकार उनका कुल स्कोर 392 से घटकर 384 हो गया। क्या विश्वविद्यालय की यह कार्रवाई वैध थी? पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियम 9 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

> *"नियम* 9 - एक उम्मीदवार का परिणाम पुनर्मूल्यांकन पर केवल तभी बदला जाएगा जब परिणाम का चरित्र बदल दिया जाता है। (चरित्र का अर्थ है 'फेल' से 'पास' या 'कम्पार्टमेंट', 'कॉम.' से 'पास' या *इसके विपरीत,* श्रेणी में परिवर्तन, कुल मिलाकर, या विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में स्थिति) या जहां पुनर्मूल्यांकन पर स्कोर संबंधित पेपर को आवंटित अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाता है या घट जाता है।"

(8)उपरोक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि किसी उम्मीदवार का परिणाम पुनर्मूल्यांकन पर बदल जाता है यदि स्कोर संबंधित पेपर को आवंटित अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाता है या घट जाता है। याचिकाकर्ता ने दो पेपरों में पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी। पेपर 1 में उनका स्कोर 48 पर अपरिवर्तित रहा था। पेपर IV में उनका स्कोर 51 से घटाकर 43 कर दिया गया था। अंतर 8 प्रतिशत अंकों का था। स्कोर में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी और तदनुसार विश्वविद्यालय का उसके परिणाम को संशोधित

करने और उसके कुल अंकों को 392 से घटाकर 384 करने का फैसला उचित था। विश्वविद्यालय की इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को तथ्यात्मक रूप से 800 में से 384 अंक मिले हैं और इस प्रकार उसने वास्तव में एमए (अंग्रेजी) परीक्षा तीसरे श्रेणी में उत्तीर्ण की है।

(9) इस मामले के दृष्टिकोण में, 8 ग्रेस मार्क्स देने के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा वास्तव में अकादमिक है। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता 8 अनुग्रह अंक देने का हकदार है, तो उसका कुल स्कोर केवल 392 अंक आएगा, जो उसे वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा यानी एमए में दूसरा डिवीजन। इसके बावजूद मैंने इस संबंध में उनके दावे की भी जांच की है और मुझे यह पूरी तरह से असमर्थनीय लगता है। संबंधित प्रावधान विनियम 27.1, 27.2 और 27.3 में निहित हैं। इन्हें निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

> *"विनियमन* 27.1: (a) एक उम्मीदवार जो किसी परीक्षा के सभी विषयों में उपस्थित होता है और जो एक या एक से अधिक विषयों (लिखित, व्यावहारिक, सत्रीय या *मौखिक परीक्षा*) और / या कुल (यदि कुल उत्तीर्ण होने की एक अलग आवश्यकता है) में असफल हो जाता है, तो कमी को पूरा करने के लिए कुल अंकों के अधिकतम 1 प्रतिशत (आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंकों को छोड़कर) ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे यदि इस तरह के जोड़ से उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। अनुग्रह अंक प्रदान करते समय 1/2 या उससे अधिक पर काम करने वाले अंश को पूरा कर दिया जाएगा।
>
> बशर्ते कि किसी उम्मीदवार को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएं, यदि ऐसे अंक देकर वह विषय और भाग में छूट या कम्पार्टमेंट अर्जित कर सकता है।
>
> (b) एक उम्मीदवार जो उस कम्पार्टमेंट या विषय और भाग को पास

करने की इच्छा रखता है जिसमें उसे फिर से उपस्थित होने की घोषणा की गई है, उसे उस विषय और भाग के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें वह फिर से उपस्थित होता है, यदि इस से उम्मीदवार उस विषय या भाग में उत्तीर्ण हो सकता है।

(c) विनियमों के तहत स्वीकार्य ग्रेस मार्क्स केवल अंग्रेजी विनियमों के तहत उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दिए जाएंगे ताकि वे उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें, लेकिन अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में नहीं।

अपवाद (i)- हालांकि, बी.डी.एस. परीक्षा के मामले में, ग्रेस मार्क्स प्रत्येक विषय के कुल अंकों के एक प्रतिशत तक दिए जाएंगे, और सभी विषयों के कुल के एक प्रतिशत तक नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक विषय, इस उद्देश्य के लिए, एक अलग इकाई होगी, और एक उम्मीदवार जो उस विषय के कुल अंकों के एक प्रतिशत तक अंक से किसी विषय में असफल हो जाता है, उसे उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक संख्या में अंक दिए जा सकते हैं।

(ii) एम.बी.बी.एस. परीक्षाओं के लिए, कोई ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा।"

"विनियमन 27.2: ग्रेस अंक परीक्षा के कुल अंकों के एक प्रतिशत तक होते हैं, जिसमें परीक्षा के भाग के अंक भी शामिल हैं, को उच्च कक्षा के पुरस्कार के लिए (और विशिष्टता / सम्मान अर्जित करने के लिए नहीं) उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों में जोड़ा जाएगा; बशर्ते कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पहले से ही कोई ग्रेस मार्क्स का लाभ नहीं उठाया गया हो।"

"विनियमन 27.3: एक उम्मीदवार जो डिवीजन में सुधार के उद्देश्य

से एमए, M.Com, एमए (शारीरिक शिक्षा) या M.Lib.Sc. परीक्षा में फिर से उपस्थित होता है, उसे कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस अंक दिए जा सकते हैं: -

i. एक उम्मीदवार जो केवल एक भाग में फिर से उपस्थित होता है- 1 प्रतिशत अंक उस भाग में जिसमें वह फिर से प्रकट होता है।

ii. एक उम्मीदवार जो दोनों भागों में फिर से प्रकट करता है- दोनों भागों के अंकों का 1 प्रतिशत

बशर्ते कि किसी भी उम्मीदवार को उच्च श्रेणी हासिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।

(10) याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एमए परीक्षा के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स देने का हकदार है। विश्वविद्यालय का दावा है कि याचिकाकर्ता एमए भाग II के केवल दो पेपरों अर्थात पेपर I और IV में उपस्थित हुआ था और वह केवल 200 अंक के 1 प्रतिशत अंक का हकदार था और अधिक नहीं। मेरे विचार से, विश्वविद्यालय की ओर से लिया गया रुख नियमों के सख्त अनुरूप है। विनियम 27.1, 27.2 और 27.3 के प्रावधानों को यदि सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाए तो इसका मतलब है कि उम्मीदवार परीक्षा जो वह वास्तव में लेता है, के 1 प्रतिशत अंकों का हकदार है । जबकि विनियम 27.2 एक उम्मीदवार पर लागू होता है, जो एमए की पूरी परीक्षा लेता है अर्थात भाग I और II और प्रकृति में सामान्य है, वर्तमान मामले पर लागू विशिष्ट प्रावधान विनियमन 27.3 में निहित है। इस विनियमन के तहत एक उम्मीदवार "उस भाग में 1 प्रतिशत अंक का हकदार है जिसमें वह फिर से उपस्थित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह होगा कि यदि कोई उम्मीदवार भाग I या II के सभी पेपरों में फिर से उपस्थित होता है, तो वह भाग के कुल अंकों के 1 प्रतिशत का हकदार होगा, जो 400 हैं। मेरे विचार में महत्वपूर्ण शब्द हैं "जिसमें वह फिर से प्रकट होता है।“ नियम एक उम्मीदवार को

एक भाग में फिर से उपस्थित होने की अनुमति देते हैं; दोनों भागों में या केवल कुछ पत्रों में। नियम बनाने वाले अधिकारी का इरादा स्पष्ट रूप से उसे पेपर के कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक ग्रेस मार्क्स देना है, जिसमें वह फिर से उपस्थित हुआ है। याचिकाकर्ता 100-100 अंकों के दो पेपरों में फिर से उपस्थित हुआ था। इसलिए, विश्वविद्यालय उसे 2 अंक दे सकता था, लेकिन चूंकि इससे परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई ग्रेस अंक नहीं दिया गया।

(11) इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्वविद्यालय विनियम, जो सांविधिक हैं, में ग्रेस मार्क्स प्रदान करने का प्रावधान है। फिर भी तथ्य यह है कि यह एक रियायत है। रियायत देने से छात्रों के भविष्य के कैरियर में परिणाम हो सकते हैं। एक उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर 400 अंक प्राप्त कर सकता है। एक अन्य उम्मीदवार जो 392 अंक प्राप्त करता है, वह एक निश्चित स्थिति में 8 ग्रेस अंक प्राप्त कर सकता है और अपने कुल स्कोर को 400 अंकों तक बढ़ाने में सफल हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि पहले उम्मीदवार के बेहतर प्रयास को दूसरे उम्मीदवार के समान स्तर पर लाया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से असमान परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार, अनुग्रह अंक प्रदान करने से संबंधित प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और जब तक कोई लाभ स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं होता है, तब तक उम्मीदवार को ग्रेस मार्क्स से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा भी हमें अनुग्रह को शर्मनाक नहीं होने देना चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा की पवित्रता न्यायालयों को स्वतंत्र रूप से अनुग्रह प्रदान करने के लिए सहमत होने के बजाय योग्यता के पक्ष में झुकने के लिए मजबूर करती है।

(12)उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं मानता हूं कि याचिकाकर्ता ने एमए (अंग्रेजी, परीक्षा) में कुल 800 में से 384 अंक प्राप्त किए हैं। वह किसी भी ग्रेस मार्क्स का दावा करने का हकदार नहीं है। अनुलग्नक

P3 में विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से कानूनी और वैध है। इसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक छात्र द्वारा दायर रिट है, मैं कोई लागत नहीं देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर

आर.एन.आर.

इससे पहले: एस. एस. सोढ़ी 8 आई एन. के. कपूर, जे.जे.

आयकर आयुक्त, पटियाला- आवेदक।

verms

मेसर्स अवतार सिंह एंड संस, पटियाला, - प्रतिवादी।

आयकर संदर्भ सं. 1980 का 246।

14 मई, 1991।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का XLIII*) - धारा 40-ए (3*) - आयकर नियम, 1962 - धारा *6* डीडी *(जे)* - एस के उल्लंघन में आपूर्तिकर्ता कंपनी को करदाता द्वारा नकद में भुगतान। 40-ए (3) -

ऐसे व्यय पर कटौती का दावा करने वाला करदाता - करदाता आरएल के तहत ऐसी कटौती का हकदार है। 6 डीडी (जे) *असाधारण परिस्थितियों में, यदि विक्रेता की पहचान स्थापित हो जाती है और भुगतान वास्तविक होते हैं।*

यह माना गया कि जिस पार्टी को भुगतान किया गया था, उसकी पहचान सवाल से परे है और न ही भुगतान की वास्तविकता के संबंध में कोई संदेह है। इसके अलावा अमृत वनस्पति कंपनी के मुख्य लेखाकार का एक हलफनामा भी है जिसमें इन भुगतानों को नकद में प्राप्त किया गया था और कंपनी के बही-खातों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया था और ये भुगतान नकद में प्राप्त किए गए थे क्योंकि बैंक के घंटों के बाद कंपनी को धन की तत्काल आवश्यकता थी और क्रॉस चेक या ड्राफ्ट द्वारा इसे प्राप्त करने से भुगतान में देरी होती और भुगतान के उचित संचालन में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती। कंपनी का व्यवसाय। इन परिस्थितियों से यह अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि भुगतान किया गया है।